न्यायालय जिला कलक्टर गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी डॉ0 गौरव सैनी

अपील संख्या 02/24

तारीख रज्जू– 04/03/24

1. सीताराम पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम चूली छार्रा।
2. भरतलाल पुत्र श्री कमल निवासी ग्राम चूली छार्रा।

–अपीलार्थी

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी ।

–रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांक 25/6/24

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी द्वारा मिसल संख्या 39/2023 में पारित निर्णय दिनांक 28.07.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम चूली के आराजी ख0नं0 178 रकबा 0.01है0 तथा ख0नं0 156 रकबा 0.02 है0 किस्म गै0मु0रास्ता पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा करने का कर्ता मानकर भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने के दण्ड से एवं सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अपीलाधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि निर्णय अदालत मातहत खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसल होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस में यह भी तर्क दिया कि ख0नं0 178,156 पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है ना ही अपीलान्ट राजकीय भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखते है बल्कि वादग्रस्त भूमि से लगी हुई अपीलान्ट की खातेदारी की भूमि है तथा रास्ते की भूमि को छोडकर अपीलान्ट द्वारा डोलमेड बनाई हुई है। उक्त रिपोर्ट गलत रूप से तैयार की है मोके पर अपीलान्ट का कभी कोई कब्जा नहीं रहा है यदि भूल वश कभी कोई कब्जा हो गया तो अपीलान्ट सशपथ उक्त कब्जा हटा लेगा। पटवारी हल्का द्वारा अपनी रिपोर्ट में अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है, लेकिन अदालत मातहत की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है। जिससे अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण होना साबित होता है। अपीलान्ट का उक्त वाद आराजीयात पर पूर्व में अतिक्रमण नहीं था तथा पटवारी हल्का से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 के अनुसार भी वर्तमान में रास्ते की भूमि ख0नं0 178 व 156 पर कोई अतिक्रमण नहीं है,साथ ही अधिवक्ता अपीलान्ट

25/6/24

जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (राज0)

ने उक्त अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाने हेतु निवेदन किया ।

विद्वान वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर प्रदान करने तथा अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी का अतिकमण पाये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता व अवैधानिकता नहीं है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

दोनों पक्षों की बहस सुनने,उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अदालत मातहत के समक्ष पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अतीचार की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलार्थी को सुनवाई सबूत हेतु नोटिस जारी किया गया । जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। जहां तक अपीलार्थी के पूर्ववर्ती अतिचारी होने के प्रश्न है तो पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट एवं बयान में पश्चातवर्ती अतिकमण होना अंकित किया हुआ है। पटवारी हल्का से प्राप्त नवीनतम मौका रिपोर्ट दिनांक 30.05.2024 के अनुसार अपीलार्थी द्वारा उक्त वाद आराजीयात पर कोई अतिकमण नहीं है ,लेकिन अपीलार्थी द्वारा भविष्य में उक्त आराजी पर पुनः अतिकमण किये जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता । इसलिए अपीलार्थी को भविष्य में उक्त आराजी पर अतिकमण नहीं किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

अतः उपरोक्त विवचेना के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से इस निर्देश के साथ स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी एक शपथ पत्र इस आशय का "अपीलार्थी भविष्य में उक्त आराजी पर अतिकमण नहीं करेगा एवं यदि वह अतिकमण करता है तो उसके बाद होने वाली समस्त कार्यवाही का वह स्वयं जिम्मेदार होगा " इस निर्णय से 15 दिवस के अन्दर न्यायालय नायब तहसीलदार गंगापुर सिटी में एवं प्रति इस न्यायालय में पेश कर देता है तो अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय में अपीलान्ट को दी गई सिविल कारावास की सजा की हद तक निरस्त माना जावे अन्यथा सिविल कारावास की सजा बदस्तूर/यथावत मानी जावे । शेष आदेश शास्ति , बेदखली व फसल निलामी को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/6/24 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/6/24

(डॉ0 गौरव सैनी)
जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी
गंगापुर सिटी (राज0)